अध्याय I

राजस्व विभाग-सीमा शुल्क राजस्व

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के स्रोतों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण एवं ऋण के पुन: भुगतान से सरकार द्वारा प्राप्त सारा धन सम्मिलित है। केन्द्र सरकार के कर राजस्व स्रोतों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियां सम्मिलित हैं। नीचे दी गई **तालिका 1.1** वित्तीय वर्ष 2016 और 15 के लिए केन्द्र सरकार की प्राप्तियों का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

₹ करोड़

	2015-16	**2014-15**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	19,42,200	16,66,717
i. *प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	*7,42,012*	*6,95,792*
ii. अन्य कर सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां[1]	*7,13,879*	*5,49,343*
iii. गैर-कर प्राप्तियाँ	*4,84,428*	*4,19,982*
iv. सहायता अनुदान और अंशदान सहित गैर-कर प्राप्तियां	*1,881*	*1,600*
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियां[2]	42,132	37,740
ग. ऋण एवं अग्रिम की वसूली[3]	41,878	26,547
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[4]	43,16,950	42,18,196
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	**63,43,160**	**59,49,200**
टिप्पणी: कुल राजस्व प्राप्तियों में वि.व. 15 एवं वि.व. 16 में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की कुल प्राप्ति का भाग क्रमश: ₹ 3,37,808 करोड़ तथा ₹ 5,06,193 करोड़ है।		

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे

[1] सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर आदि के जैसी सेवाओं और वस्तुओं पर उद्ग्रहीत अप्रत्यक्ष कर;

[2] इसमें बोनस शेयर, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों का विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियों का मूल्य निहित है;

[3] संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम की वसूली;

[4] भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ-साथ बाहरी उधारियाँ;

संघ सरकार की कुल प्राप्तियाँ वि.व. 15 में ₹ 59,49,200 करोड़ से बढ़कर वि.व. 16 में ₹ 63,43,160 करोड़ हो गई। वि.व. 16 में इसकी अपनी प्राप्तियाँ ₹ 14,55,891 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 19,42,200 करोड़ थी जिसमें अप्रत्यक्ष कर का योगदान ₹ 7,13,879 करोड़ था।

1.2 अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान अप्रत्यक्ष करों की सापेक्षिक वृद्धि नीचे **तालिका 1.2** में दी गई है। जीडीपी[5] से अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता शेयर में पिछले पांच वर्षों के दौरान 4 प्रतिशत से थोड़ा अधिक था।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	सकल अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44
वि.व.13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	46
वि.व.14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	44
वि.व.15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	44
वि.व.16	7,10,101	1,35,76,078	5.23	14,55,891	49

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, वि.व. 16 के आंकड़े अनंतिम हैं।

सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का शेयर वि.व. 15 की तुलना में वि.व. 16 में बढ़ गया।

1.3 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं की आपूर्ति/सेवाओं की लागत पर वसूला जाता है और इन्हें व्यक्ति की बजाए लेन-देन पर लगाया जाता है। संसद की अधिनियमों के अंतर्गत उद्ग्रहीत मुख्य अप्रत्यक्ष कर/शुल्क सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर हैं। यह प्रतिवेदन सीमाशुल्क से संबंधित है।

[5]स्रोत: संबंधित वर्षों के संघीय वित्त लेखे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जून 2016 में प्रदान किए गए जीडीपी के आँकड़े।

1.4 संगठन और इसके कार्य

वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग सचिव (राजस्व) के सम्पूर्ण नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित दो सांविधिक बोर्ड यथा; केंद्रीय बोर्ड, उत्पाद एवं सीमाशुल्क (सीबीईसी) तथा केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी) के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष केंद्रीय करों से संबंधित सभी मामलों का समंवय करता है। सीमाशुल्क की उगाही एवं संग्रहण से जुड़े मामलों की देखरेख सीबीईसी द्वारा की जाती है।

सीबीईसी की कुल संस्वीकृत स्टॉफ संख्या 91,756[6] (01 जनवरी 2016 को) है।

इसके अतिरिक्त, राजस्व विभाग भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1899 (संघ के क्षेत्राधिकार की सीमा तक आने वाले), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, मादक दवा एवं नशीले पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएसए), तस्कर एवं विदेशी विनिमय दलाल (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 (एसएएफईएमए), विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और विदेशी विनिमय संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारक अधिनियम, 1974 (सीओएफईपीओएसए), हवाला निरोधक अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) तथा अंवेषण, प्रवर्तन, लोकपाल एवं अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के लिए संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के प्रति भी उत्तरदायी है।

वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्य विभाग महानिदेशक, विदेश व्यापार के माध्यम से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) बनाता है, उसे लागू करता है तथा उसकी निगरानी करता है जो निर्यात एवं व्यापार प्रोत्साहन हेतु अपनायी जाने वाली नीति एवं रणनीति का आधारभूत ढाँचा प्रदान करती है। व्यापार नीति की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, दोनों में उभरते आर्थिक परिदृश्यों पर ध्यान रखने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की आवधिक समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात प्रोत्साहन एवं व्यापार सुविधा, और विकास तथा कुछ निर्यातोन्मुख उद्योगों एवं प्रतिभूतियों जुड़ी जिम्मेदारियाँ भी सौंपी गई है।

---

[6] 01 जनवरी 2016 को एचआरडी महानिदेशालय (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर) द्वारा प्रस्तुत आंकड़े।

1.5 सीमाशुल्क का कर आधार

सीमाशुल्क राजस्व आधार में महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा आयातक निर्यातक संहिता (आईईसी)[7] जारी किए गए आयातक एवं निर्यातक शामिल हैं। मार्च 2016[8] तक 724434 सक्रिय आईईसीज़ हैं। विदेश व्यापार के प्रबंधन हेतु 363 आयात पत्तन (105 ईडीआई, 53 गैर ईडीआई, 6 मैनुअल और 199 सेज़) तथा 347 निर्यात पत्तन (120 ईडीआई, 70 गैर ईडीआई, 12 मैनुअल और 145 सेज़) हैं। 2015-16 के दौरान ₹ 17.16 लाख करोड़ का निर्यात (97,41,229 लेन-देन) तथा ₹ 24.90 लाख करोड़ मूल्य का आयात (80,15,856 लेन-देन) किया गया। वि.व. 16 के दौरान टैरिफ रियायत प्रदान करने वाले तीस सक्रिय करार[9] थे। सीमाशुल्क प्राप्तियों (₹ 2,10,338 करोड़) के साथ-साथ छोड़ा गया राजस्व (₹ 3,40,420 करोड़) मिलकर कर आधार बनता है।

1.6 वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान भारत का आयात एवं निर्यात तथा सीमाशुल्क प्राप्तियाँ

निर्यात मूल्य के संदर्भ में भारतीय निर्यात की वृद्धिशील प्रतिशतता में वि.व. 12 से वि.व. 14 के दौरान 28% से 17% की गिरावट आई। वि.व. 15 में निर्यात अर्जन के मूल्य में ₹ 8,663 करोड़ (0.45) की गिरावट आई तथा आगे वि.व. 16 में वि.व. 15 की तुलना में ₹ 1,79,970 करोड़ (9.49 प्रतिशत) की गिरावट आई।

आयात मूल्य के संदर्भ में भी वि.व. 12 में 39% की तुलना वि.व. 15 में 1% की कमी आई। वि.व. 16 के दौरान आयात में 9 प्रतिशत की कमी आई जो मुख्यत: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आई गिरावट के कारण थी।

---

[7] डीजीएफटी दिल्ली द्वारा सभी आयातक/निर्यातक को आईईसी जारी किया जाता है।

[8]स्रोत: डीजीएफटी, उद्योग भवन, नई दिल्ली

[9]http://commerce.nic.in/trade/international

तालिका 1.3: भारत के आयात तथा निर्यात

₹ करोड़

वर्ष	आयात	वृद्धि %	सीमा शुल्क प्राप्तियां	वृद्धि %	आयातों में सीमा शुल्क प्राप्तियां %	निर्यात	वृद्धि %	व्यापार असंतुलन	आयातों के % के रूप में व्यापार असंतुलन
वि.व.12	2345463	39	149328	10	6.4	1465959	28	-879504	37
वि.व. 13	2669162	14	165346	11	6.2	1634319	11	-1034843	38
वि.व. 14	2715434	2	172033	4	6.3	1905011	17	-810423	30
वि.व. 15	2737087	0.8	188016	9	6.9	1896348	(-)0.45	-840739	31
वि.व.16*	2490298	(-)9.02	210338	12	8.4	1716378	(-)9.49	-773920	31

स्रोत: एक्जिम डाटा, वाणज्यिक विभाग *वि.व. 16 के आंकड़े अनन्तिम है

कुल आयातों की प्रतिशतता में सीमा शुल्क प्राप्तियां वि.व. 15 के 6.9 प्रतिशत की तुलना मे वि.व. 16 में 8.4 प्रतिशत थी।

आयातों की प्रतिशतता के रूप में व्यापार असंतुलन में वि.व. 13 में 38 प्रतिशतता से वि.व. 16 में 31 प्रतिशत तक कमी आई थी। तथापि, व्यापार असंतुलन में आई कमी मुख्यत: आयातों की मात्रा में कमी या निर्यातों में वृद्धि, इन दोनों में पिछले दो वर्षों में गिरावट का रूझान है, की बजाय अंतराष्ट्रीय तेल तथा कच्चे तेल कीमतों में कमी के कारण प्रतीत होती है।

1.7 जीडीपी, सकल कर राजस्व तथा अप्रत्यक्ष करों की तुलना में सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

वि.व.12 से वि.व. 16 में दौरान जीडीपी तथा अप्रत्यक्ष करों की तुलना में सीमा शुल्क राजस्व की वृद्धि प्रवृति **तालिका 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.4 सीमा शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि

₹ करोड़

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में सीमाशुल्क राजस्व	सकल कर राजस्व	सकल कर की % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क
वि.व.12	1,49,328	90,09,722	1.66	8,89,118	16.80	3,92,674	38.03
वि.व.13	1,65,346	99,88,540	1.66	10,36,460	15.95	4,74,728	34.83
वि.व.14	1,72,033	1,13,45,056	1.52	11,38,996	15.10	4,97,349	34.59

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियां	जीडीपी	जीडीपी की % के रूप में सीमाशुल्क राजस्व	सकल कर राजस्व	सकल कर की % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमा शुल्क
वि.व.15	1,88,016	1,25,41,208	1.50	12,45,135	15.10	5,46,214	34.42
वि.व.16	2,10,338	1,35,76,086	1.55	14,55,891	14.45	7,10,101	29.62

स्रोत संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, वि.व. 16 के आंकड़े अनन्तिम है

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क राजस्व में वि.व. 15 की तुलना में वि.व. 16 में मामूली वृद्धि आई है। सकल कर की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क राजस्व में वि.व. 12 में 17 प्रतिशत से वि.व. 16 में 14 प्रतिशत तक कमी आई है। अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता के रूप में सीमा शुल्क राजस्व में वि.व. 12 में 38 प्रतिशत से वि.व. 16 में 30 प्रतिशत की कमी आई।

1.8 बजट तथा वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियों में अंतर

वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान बजट तथा संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक सीमा शुल्क प्राप्तियां निम्न **तालिका 1.5** में दी गई है।

तालिका 1.5: बजट तथा संशोधित, वास्तविक प्राप्तियां

₹ करोड़

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक तथा बीई के बीच अंतर	वास्तविक तथा बीई के बीच अंतर का %	वास्तविक तथा आरई के बीच अंतर का %
वि.व. 12	151700	153000	149328	(-)2372	(-)1.56	(-)2.40
वि.व.13	186694	164853	165346	(-)21348	(-)11.43	(+)0.30
वि.व. 14	187308	175056	172033	(-)15275	(-)8.16	(-)1.73
वि.व. 15	201819	188713	188016	(-)13803	(-)6.84	(-)0.37
वि.व.16*	208336	209500	210338	(+)2002	(+)0.96	(+)0.40

स्रोत:संबंधित वर्षों के संघ बजट तथा वित्त लेखे, डीओआर

*आंकड़े अनन्तिम है

पिछले पांच वर्षों के दौरान बजट अनुमानों तथा वास्तविक संग्रहण के बीच अंतर की प्रतिशतता (-) 11.43 प्रतिशत से (+) 0.96 प्रतिशत की रेंज में थी

जैसाकि तालिका में दर्शाया गया है। वास्तविक प्राप्तियों के लिए संशोधित अनुमानों में भी (-) 2.40 प्रतिशत से (+) 0.40 प्रतिशत तक अंतर था।

बीई/आरई/वास्तविक प्राप्तियों में अंतर की व्याख्या करते हुए, मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2016) कि विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सीमा शुल्क हेतु बीई तथा आरई को कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है जैसे कि जीडीपी में वृद्धि, कर नीति, शुल्क योग्य आयातों के मूल्य में वृद्धि, प्रतिदाय के कारण राजस्व व्यय तथा शुल्क वापसी, कतिपय अवधारणाओं के तहत् शीर्ष अंतराष्ट्रीय मुद्राओं की विनिमय दर आदि, पूरे वर्ष के लिए इन कारकों के अंतिम परिणाम पहले से ज्ञात नहीं होते जो बीई/आरई से संबंधित वास्तविक संग्रहण को प्रभावित करते है।

1.9 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत छोड़ा गया सीमा शुल्क राजस्व

केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अंतर्गत जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए शुल्क छूट की शक्तियों को प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई यें दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती है।

अत: छोड़े गए राजस्व को वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क, जो देय होगा, यदि नहीं होता तो छूट अधिसूचना जारी करने के लिए तथा संबंधित अधिसूचना के संदर्भ में भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

छोड़ा गया = मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर– शुल्क की प्रभावी दर)

तालिका 1:6 सीमा शुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमा शुल्क राजस्व

₹ करोड़

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियों	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोड़ा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोड़ा गया राजस्व +प्रतिदाय+ डीबीके	सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व
वि.व. 12	149328	285638	3202	12331	301171	202
वि.व.13	165346	298094	3031	17355	318480	193

वर्ष	सीमा शुल्क प्राप्तियों	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोड़ा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोड़ा गया राजस्व +प्रतिदाय+ डीबीके	सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व
वि.व. 14	172033	326365	4501	18539	349405	203
वि.व. 15	188016	465618	5051	27276	497945	265
वि.व. 16	210338	298704	6346	35370	340420	162

स्रोत: संघ प्राप्ति बजट, सीबीईसी डीडीएम, फिरती सैल, सीबीईसी

सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया राजस्व वि.व. 16 में 162 प्रतिशत था। पिछले पांच वर्षों के दौरान यह 162 से 265 प्रतिशत के बीच था। वस्तुओं पर छोड़े गए राजस्व के साथ-साथ कुल छोड़े गए राजस्व में वि.व. 15 की तुलना में वि.व.16 में ₹ 4.98 हजार करोड़ से ₹ 3.40 हजार करोड़ तक गिरावट का रूझान था। तथापि, वि.व. 16 में फिरती में 30 प्रतिशत (₹ 8094 करोड़) की वृद्धि हुई है, जबकि प्रतिदाय में 26 प्रतिशत (₹ 1295 करोड़) तक वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2016 तक फिरती अनुसूची के अंतर्गत कवर की गई मदों की कुल संख्या वि.व. 16 के दौरान 87 मदों को जोड़ कर 2459 थी।

वि.व. 16 के दौरान छोड़े गए राजस्व का 67 प्रतिशत, प्राकृतिक या कृत्रिम मोतियों, कीमती धातु तथा उससे बनी वस्तुओं, खनिज इंधन, एनिमल या वनस्पति वसा/तेल, मशीनरी तथा मैकेनिकल उपकरणों तथा इलेक्ट्रिकल मशीनरी/उपस्कर आदि पर था।

1.10 निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व

एडवांस लाइसेंस योजना लाइसेंस जारी होने की तिथि से 36 माह के अंदर निर्धारित निर्यात दायित्व (इओ) को पूरा करने के लिए परिणामी उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति देती है।

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (इपीसीजी) योजना सीमा शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत माल के आयात की अनुमति देती है जो लाइसेंस जारी होने की तिथि से आठ वर्षों की अवधि में पूरा होने हेतु आयातित पूंजीगत माल पर बचाएं गए शुल्क के आठ गुणा के बराबर इओ के विषयाधीन है।

फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस) विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु नि: शुल्क विदेशी विनिमय में संपादित निर्यातों के पोतपर्यत नि:शुल्क (एफओबी) मूल्य के 2/5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट का प्रावधान करती है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज)/निर्यात संसाधन क्षेत्रों (इपीजेड)/निर्यात उन्मुख यूनिटों (इओयू) को माल तथा सेवाओं के निर्यात हेतु इनपुटों के नि:शुल्क आयातों की अनुमति दी गई है।

निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ गया शुल्क वि.व. 15 के दौरान 49 प्रतिशत की तुलना मे वि.व. 16 के दौरान सीमा शुल्क प्राप्तियों का 39 प्रतिशत था। वि.व. 16 के दौरान शीर्ष पांच योजनाएं, जिन पर शुल्क छोड़ा गया था, एडवांस लाइसेंस योजना, इओयू/ईएचटी/एसटीपी, सेज, ईपीसीजी तथा फोकस उत्पाद योजना थी। योजनाओं के तहत् छोड़े गए कुल शुल्क (₹ 82890 करोड़) का 88 प्रतिशत (₹ 72828 करोड़) इन पांच योजनाओं के कारण था। (तालिका 1.7)

तालिका 1.7: विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व

योजना	छोड़ी गई राशि			.₹ करोड़
	वि.व. 15	(कुल की प्रतिशतता)	वि.व. 16	(कुल की पतिशततता)
एडवांस लाइसेंस	23461	26	25625	31
इओयू/इएचटी/एसटीपी	14857	16	15959	19
एस.ई.जेड	8066	9	13593	16
ईपीसीजी	8010	9	10157	9
फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस)	10083	11	7494	9
अन्य*	18660	20	10062	12
कुल	91964		82890	

स्रोत महानिदेशालय, डाटा प्रबंधन, सीबीईसी, वित्त मंत्रालय

*अन्य में डीईपीबी, डीएफआरसी, डीएफईसीसी योजनाएं, लक्ष्य प्लस योजना, विशेष कृषि तथा ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), भारत योजना से सेवित (एसएफआईएस), डीएफआईए योजना, एफएमएस, स्टेटस होल्डर इन्सेक्टिव स्क्रिप योजना (एसएचआईएस), आदि शामिल है।

वि.व. 16 के दौरान एडवांस लाइसेंस योजना के अंतर्गत छोड़ा गया राजस्व विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के मध्य उच्चतम था। एडवांस लाइसेंस योजना, इओयू/इएचटी/एसटीपी, सेज तथा ईपीसीजी योजना के अंतर्गत छोड़े गए

9

राजस्व में वि.व. 15, फोकस उत्पाद योजना को छोड़कर, की तुलना में वि.व. 16 में वृद्धि हुई थी।

1.11 विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निष्पादन

सेज अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सेजों के स्थापना हेतु 408 अनुमोदन दिए गए थे जिनमे से 328 अधिसूचित हो चुके है तथा 2 सितम्बर 2016 को 204 प्रचालन में है (**अनुलग्नक 1**)। 2 सितम्बर 2016 तक 4166 यूनिटें अनुमोदित हो गई है। कुल ₹ 3.76 लाख करोड़ का निवेश किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 15.91 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ। इसमे 2015-16 में ₹ 4.67 लाख करोड़ के निर्यातों के साथ 2014-15 से 0.77 प्रतिशत अधिक की वृद्धि दर्शाई है (तालिका 1.8)। निर्यात वृद्धि प्रतिशतता में 2012-13 में 31 प्रतिशत से 2015-16 में 1 प्रतिशत से कम तक की कमी आई है।

तालिका 1.8: वि.व. 12 से वि.व. 16 में सेजों का निष्पादन

वर्ष	निर्यात ₹ करोड़ में	वृद्धि प्रतिशतता
2011-12	3,64,478	15.39
2012-13	476159	31 %
2013-14	494077	4%
2014-15	463770	(-) 6%
2015-16	467337	0.77 %

स्त्रोत: www.sezindia.nic.in

1.12 वि.व. 12 से वि.व. 16 के लिए संग्रहण की लागत

संग्रहण की लागत सीमा शुल्कों के संग्रहण पर उठाई गई लागत है तथा इसमें आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण कार्यों, निवारक कार्यों, आरक्षित निधि/ जमा खाता में हस्तांतरणों पर किए गए व्यय तथा अन्य व्यय शामिल है।

2015-16 के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत सीमा शुल्क प्राप्तियों का 1.33 प्रतिशत थी। 2012-13 से 2015-16 की पांच वर्ष की वित्तीय अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत नीचे दी गई है (**तालिका 1.9**)।

तालिका 1.9: वि.व. 12 से वि.व. 16 के दौरान संग्रहण की लागत

₹ करोड़

वर्ष	राजस्व सह आयात/निर्यात तथा व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	निवारक एवं अन्य कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि, जमा खाता में हस्तांतरण तथा अन्य व्यय	कुल	सीमा शुल्क प्राप्तियां	सीमा शुल्क प्राप्तियों की % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व. 12	306	1577	5	1888	149876	1.26
वि.व. 13	315	1653	10	1979	165346	1.20
वि.व. 14	333	1804	5	2142	172033	1.25
वि.व. 15	382	2094	20	2496	188016	1.33
वि.व. 16	412	2351	36	2799	210338	1.33

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ सरकार के वित्त लेखे

सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के संबंध में व्यक्त, संग्रहण की लागत 1.20 प्रतिशत (वि.व. 13) से 1.33 प्रतिशत (वि.व. 16) के बीच थी।

1.13 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

सीमा शुल्क निर्धारण प्रक्रियाओं का आयातों तथा निर्यातों की तीव्र प्रक्रिया द्वारा व्यापार को सरल बनाने तथा निर्धारणों में अनियमितताओं को न्यूनतम करने के लिए व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकरण किया गया है। आरएमएस, एक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली, पूर्व परिभाषित जोखिम पैरामीटरों जो तब निर्धारण या जांच या दोनों के विषयाधीन थे, के आधार पर आयात घोषणाओं (माल) पर प्रतिबंध लगाती है।

आरएमएस की दक्षता, दर्शाए गए आऊटलायर्स की यथार्थता पर निर्भर करती है तथा सभी एयर कार्गो, बंदरगाहों तथा भूमि पोर्टों, सेज/इओयू, गैर-ईडीआई पोर्ट को छोड़कर, में प्रणाली आधारित निर्धारणों के कवरेज में वृद्धि करती है। वि.व. 16 में कुल आयात संव्यवहारों में से पिछले वर्ष में 24 प्रतिशत के प्रति विस्तृत निर्धारणों के लिए आरएमएस द्वारा 20 प्रतिशत को चिन्हित किया गया था। इसी प्रकार, वि.व. 16 में आरएमएस द्वारा विस्तृत निर्धारणों के लिए चिन्हित निर्यात संव्यवहार वि.व. 15 में 20 प्रतिशत के प्रति कुल संव्यवहारों का 24 प्रतिशत था।

तालिका 1.10 आरएमएस द्वारा चिन्हित संव्यवहार

आरएमएस द्वारा चिन्हित संव्यवहारों की संख्या	वि.व. 15	वि.व. 16
आयात	18,12,765 (24 %)	16,06,930 (20 %)
निर्यात	18,10,718 (20 %)	23,81,803 (24 %)
कुल संव्यवहार (आयात)	75,22,430	80,15,856
कुल संव्यवहार (निर्यात)	92,62,011	97,41,229

स्रोत: # जोखिम प्रबंधन डिविजन, डीआरआई, सीबीईसी, एमओसी तथा उद्यम, भारत सरकार

1.14 आंतरिक लेखापरीक्षा तथा जांच

महानिदेशक लेखापरीक्षा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, इसकी अध्यक्षता महानिदेशक (लेखापरीक्षा) करता है, इसकी सात जोनल यूनिटें अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुम्बई में है, प्रत्येक की अध्यक्षता अपर महानिदेशक करता है। डीजीए की प्रत्येक जोनल यूनिट का मुख्य कमिश्नर तथा उनके अंतर्गत कमिश्नरियों की जोनल यूनिटों पर क्षेत्रवार नियंत्रणाधिकार दिए गए है।

1.15 डीजी (लेखापरीक्षा), सीबीईसी द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा

विभागीय लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन तथा अक्षमता का पता लगाता है तथा कमियों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करता है। निम्नलिखित तालिका 1.11 वि.व. 12 से वि.व. 15 के दौरान इस क्षेत्र में परिमाणात्मक उपलब्धियों को दर्शाती है।

तालिका 1.11: वि.व. 12 से वि.व. 15 के दौरान विभागीय लेखापरीक्षा

₹ करोड़

वि.व.	निष्पादित लेखापरीक्षाएं	पता लगाया गया शुल्क	वूसला गया शुल्क	सीमा शुल्क प्राप्तियों में पता लगाई गई शुल्क राशि %	पता लगाई गई राशि में से वसूली गई शुल्क राशि %	सीमा शुल्क प्राप्तियों के रूप में वसूली गई शुल्क राशि %
वि.व.12	525406	439	459	0.29	105	0.31
वि.व.13	446911	1824	1058	1.10	58	0.64
वि.व.14	494393	294	223	0.17	76	0.13
वि.व. 15	441068	4.45	3.50	0.002	79	0.001

स्रोत: लेखापरीक्षा महानिदेशक, सीमा शुल्क, कैंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर

1.16 ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए)

सीमा शुल्क की ऑन साइट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए) एक पहल आधारित विश्व की सर्वोत्तम पद्धति है और इसका उद्देश्य आयातों तथा निर्यातों के लिए सुविधा में वृद्धि के लिए विभागों को नम्यता की अनुमति देकर अनुपालन में वृद्धि के परिवेश का सृजन करना है। ओएसपीसीए अपनी प्रवृति से ब्रोड आधारित लेखापरीक्षा है जो प्रणालियों तथा पद्धतियों पर केंद्रित है, यद्यपि शुल्कों, यदि कोई है, के कम उदग्रहण का निर्धारण संव्यवहार आधार पर जारी रहेगा।

अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) विभाग की जोखिम प्रबंधन नीति का मुख्य तत्व है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ग्राहक, जिसका मूल्यांकन उच्च आज्ञाकारी के रूप में किया गया है, को आरएमएस द्वारा सुनिश्चित सुविधा दी जाएगी ताकि स्वैच्छिक अनुपालन का परिवेश बनाया जा सके। ओएसपीसीए को सभी एसीपी ग्राहकों पर लागू किया गया है।

वि.व. 15 तथा वि.व. 16 के दौरान ओएसपीसीए के अंतर्गत लेखापरीक्षा हेतु नियोजित यूनिटों के 22 से 24 प्रतिशत की ही लेखापरीक्षा की गई जिसके परिणामस्वरूप मात्र ₹ 8.46 करोड़ के कम उद्ग्रहण का पता चला था जिसमे से ₹ 5.89 करोड़ की वसूली हुई थी।

तालिका 1.12: ओएसपीसीए के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा

वि.व.	यूनिटों की सं. जिनकी लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई थी	निष्पादित लेखापरीक्षा	पता चला शुल्क ₹ करोड़ में	वसूला गया शुल्क ₹ करोड़ में
वि.व. 15	519	113 (22 %)	4.73	2.38
वि.व. 16	330	80 (24 %)	3.73	3.51

स्रोत: महानिदेशक लेखापरीक्षा, सीमाशुल्क, केंदीय उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर

1.17 कर अपवंचन तथा जब्ती

राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वि.व. 16 में शुल्क अपवंचन के मामलों की संख्या 407 से बढ़कर 631 हो गई थी

तथा मूल्य ₹ 2,926 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,623 करोड़ हो गया था (**अनुलग्नक 2**)।

अपवंचन मामलों में शामिल मुख्य वस्तुए स्वर्ण, नशीली दवाईयां, विदेशी मुद्रा तथा इलेक्ट्रोनिक मदें है।

1.18 आंतरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र. सीसीए), सीबीईसी, सीबीईसी के विभिन्न भुगतान तथा लेखांकन कार्यों की लेखापरीक्षा करता है। यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभिन्न अंग है फिर भी प्र. सीसीए की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में 296 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरों को लंबित दर्शाया गया जिनका सकल मूल्य ₹ 56363.74 करोड़[10] था।

प्र.सीसीए लेखापरीक्षा टिप्पणियों में वि.व. 16 तक स्थापना लेखापरीक्षा के बिंदुओं के अलावा निम्नलिखित अनियमिताओं को भी शामिल किया गया था:

क. सरकारी विभाग/राज्य सरकार निकायों/निजी पार्टियों/स्वायत निकायों से देयताओं की वसूली न करना; ₹44857.23 करोड़।

ख. सरकारी निधि का अवरोधन; ₹ 72.90 करोड़।

1.19 सीएजी की लेखापरीक्षा

सीमा शुल्क राजस्व की सीएजी की लेखापरीक्षा की व्यवस्था महानिदेशकों (डीजीज़)/प्रधान निदेशकों (पीडीज़) की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जाती है जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तिया तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करते है। लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमावली 2007, स्थायी आदेशों तथा लेखांकन मानदंड, दूसरे संस्करण 2002 के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन लेखापरीक्षा की जाती है।

1.20 अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मौजूदा रिपोर्ट में ₹ 495 करोड़ के राजस्व प्रभाव के 101 पैराग्राफ तथा ₹ 568 करोड़ के राजस्व प्रभाव के दो विषय विशिष्ट अनुपालन पैराग्राफ है। इसके अलावा, ₹ 6430 करोड़ मूल्य के प्रणालीगत तथा आंतरिक नियंत्रण मुद्दों से

[10] डीजीएसीआर, नई दिल्ली पत्र सं. सीआरए/4-8/विविध पत्राचार/सीएजी हेतु सूचना /16-17/853 दिनांक 21.11.2016

संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। सामान्यत: छह प्रकार की अभ्युक्तियां अर्थात गलत वर्गीकरण; छूट अधिसूचना का गलत उपयोग; अधिसूचना की शर्त जो पूरी नहीं हुई; गलत गणना के कारण गलत छूट; योजना आधारित छूट तथा सीमा शुल्क का गलत निर्धारण थी। विभाग/मंत्रालय ने परिशोधन कार्रवाई की है जिसमे कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा कारण बताओं नोटिसों के अधिनिर्णयन के रूप में 70 पैराग्राफों के मामले में ₹ 19 करोड़ का निधि मूल्य शामिल है तथा उन्होंने 54 मामलों में ₹ 15 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।

1.21 सूचना/अभिलेखों तक एक्सेस

राजस्व विभाग, सीबीईसी, वाणिज्य विभाग तथा उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच के साथ आईसीईएस 1.5 की सिंगल साइन ऑन (एसएसओआईडी) आधारित एक्सेस का उपयोग किया गया था। अन्य पणधारक रिपोर्टों के साथ सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआरज का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, डीजीएफटी (ईडीआई) डाटा, सेज ऑनलाइन डाटा डीओसी, सीमा शुल्क के वार्षिकआयात/निर्यात डाटा (सीबीईसी) संघ वित्त लेखा, एक्ज़िम डाटा डीओसी का भी प्रयोग किया गया था।

डाटा निदेशिका के अनुसार 2014-16 की अवधि हेतु आयातों तथा निर्यातों के लिए आईसीईएस 1.5 के संव्यवहार स्तर डाटा को महानिदेशक (प्रणाली), सीबीईसी द्वारा कई अनुस्मारकों के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया था। आईसीईएस का सीआरए मॉडयूल, संव्यवहार डाटा के मैक्रो विश्लेषण तथा आवधिक विश्लेषण की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता।

1.22 लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चयनित एवं चर्चा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों की स्थिति

पीएसी ने निर्यात दायित्व यूनिटों (ईओयूज), तथा चर्चा हेतु 'अनन्तिम निर्धारणों' पर तथा अध्याय 71 तथा एक दीर्घ पैराग्राफ पर निष्पादन समीक्षा की है। राजस्व/वाणिज्य विभाग के लिए पीएसी की नई प्रश्नावलियां कर नीति, प्रशासन तथा कार्यान्वयन के स्तरों पर व्यापक आधार पर बनाई गई है। इसमे अंतर-मंत्रालयीन सहयोग, योजना परिणामों के साथ-साथ पूर्व में अपर्याप्त मॉनिटरिंग भी देखी गई है।

1.23 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा रिपोर्टों का राजस्व प्रभाव/फोलो-अप

पिछली पांच लेखापरीक्षा रिपोर्टों (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) में हमने 639 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (तालिका 1.13) जिसमें ₹ 6547 करोड़ शामिल है। सरकार ने ₹ 304 करोड़ मूल्य के 536 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा ₹ 121 करोड़ की वसूली की।

तालिका 1.13: लेखापरीक्षा रिपोर्टों का फोलो-अप

₹ करोड़

वर्ष	शामिल पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ		प्रभावी वसूलियां	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व. 12	121	62	118	59	98	35
वि.व. 13	139	1832	120	95	85	31
वि.व.14	154	2428	137	46	78	17
वि.व. 15	122	1162	91	85	67	23
वि.व. 16*	103	1063	70	19	54	15
कुल	**639**	**6547**	**536**	**304**	**382**	**121**

स्रोत: संबंधित वर्षों की सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टें

* वि.व. 16 के आंकड़े मुद्रण पूर्व के हैं।